

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 03/2020

बउनवान

रामस्वरूप पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां
(प्रार्थी)

बनाम

रामकिशन पुत्र शंकरलाल जाति चमार निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां
(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थिति: 1. श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (प्रार्थी)



2. अनुपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 22.03.2021

प्रार्थी द्वारा जय्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी रामकिशन पुत्र शंकरलाल जाति चमार के नाम ग्राम बमोरी तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 0.54 हैक्टेयर का आवंटन दिनांक 12.10.1995 को किया गया है। जिससे अप्रसन्न होकर आवंटन आदेश निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 17.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जय्ये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। जो इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, अटरू के पत्रांक 2172 दिनांक 08.10.2020 के संलग्न प्राप्त हुआ। अप्रार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रकरण में प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस को दोहराते हुये कथन किया कि भू-आवंटन आवंटन सलाहकार समिति बमोरी ने वाके माल बमोरी तह0 अटरू के खसरा नं0 81 रकबा 26 बीघा अपीलांट की दादी गंगाबाई बेवा धन्नालाल द्वारा जय्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.12.1963 को खरीद की गई थी। खरीदने के बाद से अपीलांट के पिता रामकरण पुत्र धूलीलाल काबिज काशत रहा।

आवंटन कमेटी द्वारा भू-आवंटन नियम 20(1) के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 12.10.1995 को बिना आवंटन की शर्तों का पालन करते हुए साबिक खसरा नं0 81 के नये नम्बर 992/18, 993/81, 994/81, 995/81 कायम करते हुए भू-आवंटन हेतु अनुपलब्ध भूमि का अकृषकों के नाम/रेस्पोंडेन्ट के आवंटन कर गलत आधारों पर बिना मौके पर  दिये बगैरे व आवंटन के बाद से काबिज काशत नहीं होने के उपरान्त ही रेस्पोंडेन्ट के नाम  कर खाते में गलत तरीके से अमल दरामद कर आवंटन समिति द्वारा विधिक त्रुटि कायम कर अपीलांट के विधिक अधिकारों का हनन किया गया है। इसलिए दिनांकित 12.10.1995 आवंटन आदेश खारिज

किया जावें। अपीलांट द्वारा न्यायालय में अपील पेश करने के बावजूद भी रेस्पोजेन्ट उपस्थित नहीं है। अपीलांट ही आवंटित जमीन पर अपने पिता रामकरण के जीवन काल से आज तक यानि कि 40-50 वर्षों से वर्तमान समय तक काबिज काश्त है। इसलिए दिनांकित 12.10.1995 आवंटन को निरस्त फरमाते हुए अपीलांट के नाम आवंटित आराजी का बतौर खातेदार कृषक जमाबन्दी में नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

मेरे द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक की अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर मनन/विश्लेषण किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रार्थना-पत्र आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1995 निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकरण में विवादित भूमि आवंटन के समय सीलिंग अधिग्रहित भूमि सिवायचक दर्ज थी।

उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थी रामकिशन पुत्र शंकरलाल जाति चमार निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां को किया गया आवंटन आदेश दि. 12.10.1995 यथावत रखा जाता है। यदि प्रार्थी असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति० जिला कलक्टर, बारां